



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क. /2010 निगरानी - 723-1/10

- 1- बालकृष्ण पिता नारायण जाति कलोता,
आयु 47 वर्ष, व्यवसाय काश्तकारी निवासी
ग्राम दीपगांव तेह. खातेगांव जिला देवास
- 2- काशीबाई पति बालकृष्ण जाति कलोता,
आयु 42 वर्ष, व्यवसाय काश्तकारी निवासी
ग्राम दीपगांव तेह. खातेगांव जिला देवास
- 3 - हरीओम पिता बालकृष्ण जाति कलोता,
आयु 22 वर्ष, व्यवसाय काश्तकारी निवासी
ग्राम दीपगांव तेह. खातेगांव जिला देवास
----- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- 1- जगदीश पिता नारायण जाति कलोता,
आयु 54 वर्ष, व्यवसाय काश्तकारी निवासी
ग्राम दीपगांव तेह. खातेगांव जिला देवास
- 2- कैदारनारायण पिता नारायण जाति कलोता,
आयु 50 वर्ष, व्यवसाय काश्तकारी निवासी
ग्राम दीपगांव तेह. खातेगांव जिला देवास

--- विपक्षीगण

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय संभाग उज्जैन के द्वारा
न्यायालय प्रकरण क्रमांक 286/08-09 अपील बालकृष्ण आदि
विरुद्ध जगदीश आदि मे पारित आदेश दिनांक 26.4.2010 से
असंतुष्ट होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

(5)

(नि. प्र. (दवाकी))

9
को. ए. ए. ए. को. ए. ए. ए. को. प्रस्तुत।
28-5-14
राजस्व मण्डल नं. प्र. ग्वालियर

B.K.
2815/10
B.L. Modi
Mule

R723-110

23-9-15

ठाणे इतके को को लेखना
 उपरान्त को इ-उपस्थित नही।
 समावेदक ठाणे को को लेखी
 इस ठेक की कालाप करि उठे।
 को समावेदक उ 4 की मजदारी
 2000 रुपय उपस्थित। सामय-समय पा
 वीस वा पुरकार मजदारी गरीबे
 को इ उपस्थित नही। ठाणे इतके को
 लक्ष्मी धारि में प्रकृति लक्ष्मी
 परी में समाप्त किया मजदारी
 प्रकृति दारि विरत है।

एके को को
 एके को
 एके को
 एके को
 एके को



